

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002
ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in



By speed post/Email
Violation Letter
Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-
2695202

संख्या : **E10622 MCDR-MiFLOLST/2/2024-AJM-IBM_RO_AJM**

दिनांक : **04/06/2025**

प्रेषिति : Shri Ajay Garg, Mine Agent,
Khinya-II Limestone Mine,
M/s JK Cement Ltd.
Village- Kailash Nagar, Tehsil-Nimbahera,
District-Chittorgarh, Rajasthan-312617. Email Id: ajay.garg@jkcement.com,
ashok.joshi@jkcement.com,

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Khinya-II Limestone Mine over an area 304 Ha.in Jaisalmer district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Ajay Kumar Jatolia, AME on 13/02/2025 in presence of Mine Officials.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 09/08/2021): - a) No sapling has been done against the proposal of 3000 nos of sapling over an area of 3.0 Ha. b) No fencing has been done against the proposal of 4000 m.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत:

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है ।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है ।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतीशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

भवदीय

मिथलेश पुरोहित
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

1. खान नियंत्रक (उ.आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयपुर ।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जैसलमेर ।

उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो